Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 3, 2016 (PHALGUNA 13, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2016

संख्या एम0आई0एससी0–1ए/जे0ई0 (वी0ए0)/2016/4446.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या एम0आई0एससी0–1ए/जे0ई0 (वी0ए0)/2015/24934, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 49 में,–
   (क) ''उद्योग'' शीर्ष के नीचे, तालिका में, खाना 5 में, सामान्य के सामने, '' 125 '' अंकों के स्थान पर, ''150'' अंक प्रति स्थापित किये जाएंगें;
   (ख) अंत में क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

   ''(iv) 125 के सामान्य स्तर से परे बढाए गये अनुपात फर्श क्षेत्रफल के लिए सुविधा सरकार/विकास अभिकरण द्वारा यथा विहित अनुपातिक प्रभारों/अवसंरचनात्मक मजबूती प्रभारों के भुगतान पर अनुज्ञात होगी ।''।
3. उक्त नियमों में, अनुसूची iv में, 'टिप्पणी' शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 6 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, अर्थात् :–

   ''7. 50% संपरिवर्तन प्रभार, इन्टरप्राइज्ज़ प्रमोशन पॉलिसी, 2015 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इन्टरपराइज्ज़ के लिए सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ख, ग तथा घ प्रवर्ग ब्लॉकस में उदगृहीत किए जाएंगे।

8. धार्मिक/आध्यात्मिक प्रवचन/नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं/संगठनों की दशा में संपरिवर्तन प्रभार आच्छादित क्षेत्र/अनुमोदित फर्श क्षेत्र अनुपात के अनुसार उद्गृहीत होंगें।''।

पी0 राघवेंद्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 3rd March, 2016

No. Misc-1A/JE(VA)/2016/4446.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. Misc.-IA/JE(VA)/2015/24934, dated the 16th December, 2015, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2016.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 (hereinafter called the said rules), in rule 49;-

(a) under the heading "Industrial" in Table, in column 5, against General, for figure *"125", the figure "150" shall be substituted;*

(b) at the end, for serial number (iv) and entries there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:-

"(iv) The facility of enhanced FAR beyond the General level of 125 shall be permissible on payment of proportionate charges/infrastructure strengthening charges as prescribed by the Government/Development Agency.".

3. In the said rules, in Schedule IV, under the heading 'Notes', after serial number 6, the following serial numbers and entries there against shall be added, namely:-

"7. 50% conversion charges shall be levied in B, C &D category blocks as notified by the Government, for Micro, Small and Medium Enterprise as defined in the Enterprises Promotion Policy-2015.

8. In case of Institutions /Organisations imparting religious/spiritual preaching/moral education, the conversion charges be levied as per covered area/FAR approved.".

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning, Department Chandigarh.